रांची में, शुक्रवार, दिनांक 02 फरवरी, 2024 को अपराह्न 01:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

1. पंचम झारखण्ड विधान सभा का चतुर्दश (बजट) सत्र (दिनांक 09 फरवरी, 2024 से 29 फरवरी, 2024 तक) को विलोपित करने की स्वीकृति के संबंध में। 01. **स्वीकृत।**

:: अन्यान्य ::
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

2. **पंचम झारखण्ड विधान सभा के चतुर्दश सत्र दिनांक 05 फरवरी, 2024 से 06 फरवरी, 2024 तक निम्न औपबंधिक कार्यक्रमानुसार आहूत करने की स्वीकृति दी गई–**

दिनांक 05.02.2024 (सोमवार)	1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन 11:00 बजे पूर्वाह्न में झारखण्ड विधान सभा वेश्म में माननीय राज्यपाल का अभिभाषण।
	2. झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 139 के अधीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद् में विश्वास के प्रस्ताव का उपस्थापन, वाद–विवाद एवं मतदान।
दिनांक 06.02.2024 (मंगलवार)	1. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उपस्थापन, वाद–विवाद, सरकार का उत्तर तथा मतदान।

:: अन्यान्य ::
विधि विभाग

3. श्री राजीव रंजन, पूर्व महाधिवक्ता, झारखण्ड को महाधिवक्ता, झारखण्ड के पद पर पुनः नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।